रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. D (D.L.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 1987/भाद्र 17, 1909
No. 451] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 1987/BHADRA 17, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

(विधि एवं संधि प्रभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1987

आदेश

सा. का. नि. 755 (अ).—प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि अध्याय iii को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबन्ध सितम्बर, 1987 के तीसरे दिन से जर्मन संघीय गणराज्य पर लागू होंगे।

[संख्या एल./413/3/87]

पी. श्रीनिवास राव, निदेशक

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Legal & Treaties Division)

New Delhi, the 3rd September, 1987

ORDER

G. S. R. 755 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Federal Republic of Germany with effect from the 3rd day of September, 1987.

[F. No. L/413/3/87]

P. SREENIVASA RAO, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987